

२४-७-२२

28.07.2022:- आज यह पत्रावली वादी अधिवक्ता के प्रार्थना-पत्र पर पेशी में लिया गया। वादीया सख्या सिब्बो उर्फ सुखदेव कौर जरिये अधिवक्ता बहादुरराम स्वामी द्वारा प्रार्थना-पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादीया अधिवक्ता ने प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया कि पक्षकार मुकदमा का रिश्तेदारी व पंचायत ने आपस में राजीनामा करवा दिया है वादीया वादपत्र को आगे नहीं चलाना चाहती। वादपत्र पेशी में लिया जाकर राजीनाम तस्दीक फरमाया जावे। प्रार्थना-पत्र शामिल पत्रावली किया गया। वादीया के अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादीया के फर्द अहकाम पर अगूठा/हस्ताक्षर करवाये गये। वादीया की पहचान वादीया अधिवक्ता श्री बहादुरराम स्वामी द्वारा की गई। वादीया का उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया गया। अतः वादपत्र वादीया मौजूदा सूरत में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

